भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 330
21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

330. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

श्री आनंद भदौरिया

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर और नासिक में प्याज उत्पादक किसान लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक बर्बादी और आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए हैं;

(ख) प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों और अनिश्चित व्यापार नीतियों के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय प्याज की हिस्सेदारी में आई गिरावट का वर्ष-वार डेटा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए उत्पादन लागत के आधार पर प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने का विचार है;

घ) क्या सरकार प्याज के भंडारण और परिवहन लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को कम करने के लिए किसानों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) प्याज निर्यात व्यवस्था को स्थायी रूप से सुव्यवस्थित करने और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के माध्यम से किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने की प्रभावी योजना क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में प्याज का कुल उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है, जिसमें से 151.10 एलएमटी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मार्च से मई 2026 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में औसत बाजार मूल्य 900 रुपये से 1150 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा।

प्याज सहित कृषि और बागवानी वस्तुओं जो नाशवान प्रकृति की हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु, सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत देश भर में बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बम्पर फसल के दौरान संकटकालीन बिक्री से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं। पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित

बाजार मूल्यों में कम से कम 10% की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाले नुकसान का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार है। किसी विशेष मौसम में किसी विशेष फसल के लिए राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक की अधिकतम खरीद की अनुमति है। कुल नुकसान की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25) के आधार पर साझा की जाती है।

कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों में कारोबार की जाने वाली फसलों के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच मूल्य अंतर का सीधा भुगतान करने के विकल्प के साथ भावांतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य में टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य की निर्दिष्ट एजेंसियों को परिवहन और भंडारण लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत, सरकार प्याज का एक वार्षिक बफर स्टॉक बनाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष बफर लक्ष्य तय किया जाता है। प्याज का खरीद उत्पादन करने वाले राज्यों से कार्यान्वयन एजेंसियों (नेफेड और एनसीसीएफ) के माध्यम से पिछले 3 ट्रेडिंग दिनों के दौरान प्रचलित अधिकतम और मॉडल कीमतों के आधार पर न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (एमएपीपी) पर बाजार मूल्य से किया जाता है। वर्ष 2025-26 में खरीदी गई मात्रा 2.87 लाख मीट्रिक टन थी। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत, उपभोक्ता मामले विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 2 लाख मीट्रिक टन की खरीद लक्ष्य को मंजूरी दी है, जिसमें से 0.37 मीट्रिक टन की खरीद की गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक बाजार में निर्यात हेतु भारतीय प्याज के शेयर में वर्ष-वार आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:

					(मात्रा 1000 मीट्रिक टन में)
विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
प्याज फ्रेश या चिल्ड	1538.61	2527.35	समाप्त		
रोज़ अनियन फ्रेश या चिल्ड	--	--	110.76	38.65	38.28
अन्य अनियन फ्रेश या चिल्ड	--	--	1606.68	1109.17	1509.66
कुल	**1538.61**	**2527.35**	**1717.44**	**1147.82**	**1547.94**

1 अप्रैल 2025 से, प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध/शुल्क/न्यूनतम निर्यात मूल्य नहीं है।
